



सूचना का
अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 7-6/2005/1-सूअप्र
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक १० अप्रैल 2015

शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव,
प्रमुख सचिव/सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय जानकारी का इंटरनेट पर स्व-सक्रिय प्रकटीकरण।

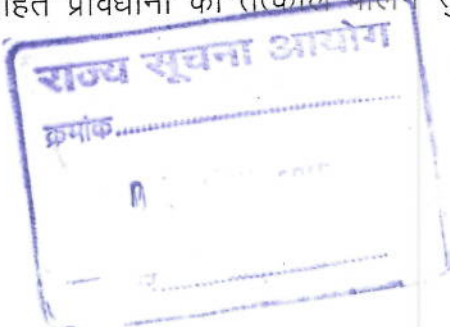
सन्दर्भ:- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक-एफ 7-6/2005/1-6, दिनांक 07.11.2005, एवं (2) समसंख्यक पत्र दिनांक 16.09.2006, (3) 18.11.2011 (4) क्रमांक-3110/जी-1721/2011/1-सूअप्र दिनांक-13.09.2012 (5) क्रमांक-3828/जी-1721/2011/1-सूअप्र दिनांक 24.11.2012, (6) क्रमांक-4000/जी-141/2012/1-सूअप्र, दिनांक-13.12.2012, (7) क्रमांक-149/जी-1721/2011/1-सूअप्र, दिनांक 24.01.2013 (8) क्रमांक-241/जी-1418/2012/1-सूअप्र, दिनांक-08.02.2013, (9) क्रमांक-257/जी-1418/2012/1-सूअप्र, दिनांक-08.02.2013 (10) क्रमांक-एफ 7-6/2005/1-सूअप्र, दिनांक 07.10.2013 एवं (11) समसंख्यक पत्र दिनांक 24.12.2014

—0—

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों/स्मरण पत्रों का अवलोकन करें। जिसके माध्यम से सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय जानकारी का अपने विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं।

शासन के ध्यान में यह बात आई है कि विभागों/कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है।

अतः पुनः अनुरोध है कि प्रत्येक विभाग, अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को, संदर्भित पत्रों में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 में निहित प्रावधानों का तत्काल पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें



(सुरेन्द्र कुमार जायसवाल)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

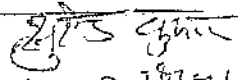
// 2 //

एफ 7-6/2005/1-13

नया रायपुर, दिनांक २७ अप्रैल 2015

प्रतिलिपि- कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

1. निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर छत्तीसगढ़.
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर.
4. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़.
5. संचालक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर
6. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर
7. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, पुराना मंत्रालय (डीकेएस भवन) के पास, इन्द्रावती खण्ड, प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर, छ0ग0.
8. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने बाबत।


विशेष सचिव 27/4/2015
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग